संख्या - 74 /448/84-2-2013-6(विविध)/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।
(3) अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 नवम्बर, 2013

विषय विशाल लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं रसद अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-110/रा-2023/29-1-13-81विविध/13, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 की अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 09.11.2013 को आयोजित की जाने वाली विशाल लोक अदालत के दृष्टिगत सदस्य, सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.08.2013 में की गयी अपेक्षानुसार विभाग से सम्बन्धित ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कराकर उनको उक्त विशाल लोक अदालत में वापस लेने के बिन्दु पर विभागीय मत स्थिर करते हुए प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उन पर यथावश्यक वित्त विभाग, न्याय विभाग एवं राजस्व विभाग का परामर्श/सहमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया राजस्व अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र दिनांक 04.10.2013 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(2) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप डेस्क इकाई, उ0प्र0 शासन।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in